णामस्वरूप अप्रैल—सितम्बर, 1991 की अवधि की तुलना में व्यापार-घाटा भी अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भुगतान-शेष के चालू लेखों और पूंजीगत लेखों में अन्य विभिन्न लेनदेनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के निवल अंतर्प्रवाह के कारण इस अवधि में हमारे विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार में कमी नहीं आई है। अप्रैल, 1992 के आरम्भ में, हमारे विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार [सोने और विशेष आहरण अधिकारों (एस. डी. आर.) को छोड़कर] 56620 लाख अमरीकी डालर-राशि के थे तथा सितम्बर, 1992 के अंत में ये 57690 लाख अमरीकी डालर-राशि के थे।

(ङ) और (च) जी, नहीं। निर्यात और आयात के बीच संतुलन कायम रखने के लिए कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सरकार की निर्यात और आयात नीति (अप्रैल, 1992 से मार्च, 1997) का लक्ष्य निर्यात में वृद्धि करना तथा प्रभावकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना है ताकि व्यापार घाटे को कायम रह सकने वाले स्तर तक सीमित रखा जा सके।

केन्द्रीय करों की वसूली की बकाया धनराशि

2225. **श्री अजीत जोगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों/फर्मों/व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनकी ओर केन्द्रीय करों के रूप में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि बकाया है;

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय कर के संबंध में तदनुरूप ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक कम्पनी/फर्म/व्यक्ति की ओर कितनी-कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) उपर्युक्त बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है ?

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया के बारे में आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। समूचे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने के कार्य में काफी समय लगेगा तथा प्रयास करने होंगे जो प्राप्तव्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे। फिर भी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया की वसूली के लिए आवश्यक समझे जाने वाले प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य उपाय किए जाते हैं।

आयकर

(क) और (ख) संलग्न अनुपत्र के अनुसार। [देखिए परिशिष्ट 165, अनुपत्र सं. 43]

(ग) ऐसी कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों की संख्या 6239 है जिनकी तरफ 10 लाख रुपए तथा इससे अधिक राशि का आयकर बकाया है। इन 6239 मामलों के संबंध में मुकम्मल ब्यौरे प्रस्तुत करने के कार्य में अत्यधिक समय लगेगा जिसके लिए पर्याप्त संख्या में जनशक्ति को भी लगाना पड़ेगा। इन ब्यौरों को एकत्र करने तथा प्रस्तुत करने में लगने वाला समय तथा किए जाने वाले प्रयास प्राप्तव्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे।

(घ) करों की वसूली करने के निमित्त किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(1) बोर्ड तथा आयकर निदेशालय (वसूली) 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की भारी-भरकम बकाया के मामलों की निरन्तर समीक्षा करते हैं।

(2) चूंकि अधिकांश मामलों में कर-बकाया अनिर्णीत अपीलों में विवादग्रस्त है, इसलिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण सहित अपीलीय प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें।

(3) दण्ड लगाने, चल तथा अचल सम्पत्तियों की कुर्की करने जैसे कठोर उपाय किए जाते हैं।

(4) कुछ मामलों में कर-चूककर्त्ताओं के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाहियां भी शुरू की गई हैं।

(5) रुग्ण कम्पनियों तथा जो कम्पनियां परिसमापन की अवस्था में हैं,

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

उनके बारे में परिसमापक तथा बी. आई. डी. आर. के समक्ष दावे प्रस्तुत किए जाते हैं ।

(6) जिन मामलों में करदाताओं को किस्तों की अनुमति दी गई है, उनमें किस्तों की समय पर अदायगी करने के कार्य को सुनिश्चित करने के निमित्त कड़ी नजर रखी जाती है ।

(7) जिन मामलों में वसूली की कार्यवाहियों पर अदालतों द्वारा रोक लगा दी गई है, उन मामलों में स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने के बारे में कार्यवाही की जाती है ।

(8) जिन मामलों में कर बकाया अशोध्य हो जाती है उन मामलों में उसे बट्टे खाते में डालने के निमित्त कार्यवाही की जाती है ।

राज्य वित्त निगम द्वारा ऋणों को मंजूरी

2226. **श्री अजीत जोगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सावधि ऋण इत्यादि के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त निगम औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने में समान मानदण्ड अपनाते हैं या वे विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपनाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कुछ राज्यों में राज्य वित्त निगमों द्वारा इंजीनियरी और अन्य तकनीकी पृष्ठभूमि वाले नए उद्यमियों के ऋण मंजूर करते समय उनके साथ भेद भावपूर्ण समझौते किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य वित्तीय निगमों को सावधि ऋणों आदि के माध्यम से लघु और मझौले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है ।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अंतर्गत स्थापित, राज्य वित्तीय निगम स्वायत्त राज्य स्तरीय निगम होने के कारण, उनके निदेशक बोर्ड, राज्य सरकारों द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से और उनकी सलाह प्राप्त करने के बाद जारी किए गए नीति संबंधी निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ऋण संबंधी नीतियां निर्धारित कर सकते हैं । इन परिस्थितियों में विभिन्न राज्यों में राज्य वित्तीय निगमों की ऋण संबंधी नीतियां अलग-अलग हो सकती हैं, जो राज्य की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था निगम की संसाधन स्थिति आदि पर निर्भर करती है ।

परन्तु, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, जो मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को उनके ऋणों के संबंध में राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है, इन संस्थाओं को मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान और अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित किया गया है। जहां तक ब्याज दर का संबंध है, राज्य वित्तीय निगमों को ब्याज कर सहित 17.5% से 20.0% के बीच ब्याज दर लेने की छूट दी गयी है ।

सीमा-शुल्क में परिवर्तन

2227. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में वातानुकूलित कारें आयात करने के लिए सीमा-शुल्क की दर में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितने प्रतिशत की गई है और अब कितने प्रतिशत सीमा-शुल्क का भुगतान करना होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार विलासिता की बहुत-सी वस्तुओं के आयात पर सीमा-शुल्क में कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान कौन-कौन सी वस्तुओं के आयात पर सीमा-शुल्क में कमी की गई है और कितने प्रतिशत की कमी की गई है;